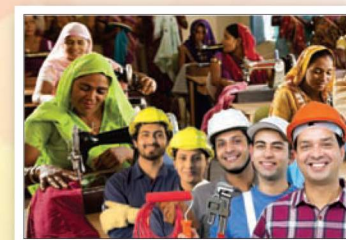


| लाभ                           | अंशदान स्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अवधि                                                                                                                                                                                     | दर                                                                                            |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>विकलांगता लाभ</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| अस्थायी अपंगता हितलाभ         | रोजगार की चोट के कारण अपंगता के लिए बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से।                                                                                                                                                                                                                                           | जब तक अस्थायी अक्षमता बनी रहती है।                                                                                                                                                       | औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत                                                           |
| स्थायी अपंगता हितलाभ          | रोजगार की चोट के कारण अपंगता के लिए बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से।                                                                                                                                                                                                                                           | आजीवन                                                                                                                                                                                    | औसत दैनिक वेतन का 90 प्रतिशत या जैसा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा तय किया गया है।                   |
| आश्रितजन हितलाभ               | बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से, रोजगार की चोट के कारण मृत्यु के लिए भुगतान किया गया।                                                                                                                                                                                                                          | विधवा को आजीवन या उसके पुनर्विवाह तक, आश्रित पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक, पुत्री के विवाह तक और आश्रित माता-पिता आदि को शर्तों के अधीन।                                                   | औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत सभी आश्रितों के बीच निश्चित अनुपात में बांटने योग्य।           |
| मातृत्व हितलाभ                | दो पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिनों के अंशदान का भुगतान।                                                                                                                                                                                                                                                                  | प्रसूति के मामले में 26 सप्ताह तक। गर्भापात के मामले में 6 सप्ताह तक। गर्भावस्था, प्रसूति, गर्भापात के कारण होने वाली बीमारी के मामले में चिकित्सा सलाह पर 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। | औसत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत                                                                 |
| चिकित्सा हितलाभ               | बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से ही स्वयं और परिवार के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं।                                                                                                                                                                                                                              | उचित चिकित्सा देखभाल, जब तक वह बीमा योग्य रोजगार में रहता है।                                                                                                                            |                                                                                               |
| <b>अन्य लाभ</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                               |
| बेरोजगारी भत्ता (आरजीएसकेवाई) | कारखाने के बंद होने के कारण अनैच्छिक रूप से रोजगार के नुकसान के मामले में, गैर-रोजगार चोट के कारण छुट्टी या स्थायी अक्षमता के मामले में दिया जाता है यदि उस व्यक्ति के लिए पूर्ववर्ती 2 वर्ष का अंशदान दिया गया हो या देय हो और उसके संबंध में योगदान का भुगतान / भुगतान रोजगार के नुकसान से कम से कम दो साल पहले किया जाता है। | जीवन काल के दौरान अधिकतम 24 महीने।                                                                                                                                                       | पहले 12 महीनों के लिए औसत दैनिक वेतन का 50 प्रतिशत और उसके बाद के 12 महीनों के लिए 25 प्रतिशत |
| प्रसूति व्यय                  | बीमित महिला या बीमित व्यक्ति की पत्नी पात्र है यदि प्रसूति उस स्थान पर होती है जहां ईएसआई योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।                                                                                                                                                                                     | केवल दो प्रसूति तक।                                                                                                                                                                      | रुपये 7,500/- प्रति केस                                                                       |
| अंत्येष्टि व्यय               | बीमा योग्य रोजगार का प्रवेश करने के पहले दिन से                                                                                                                                                                                                                                                                                 | बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च को चुकाने के लिए।                                                                                                                       | वास्तविक व्यय अधिकतम रु. 15,000/- के अधीन                                                     |
| व्यावसायिक पुनर्गठन           | रोजगार की चोट के कारण शारीरिक अक्षमता के मामले में।                                                                                                                                                                                                                                                                             | जब तक व्यावसायिक प्रशिक्षण चलता है।                                                                                                                                                      | वास्तविक शुल्क या 123/- रुपये प्रतिदिन, जो भी अधिक हो।                                        |
| पुनर्वास भत्ता                | रोजगार की चोट के कारण शारीरिक अक्षमता के मामले में।                                                                                                                                                                                                                                                                             | जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है।                                                                                                                                      | औसत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत                                                                 |
| कौशल विकास प्रशिक्षण          | उपरोक्त की तरह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए।                                                                                                                                                           |                                                                                               |

**क्षेत्रीय कार्यालय**  
**ईडीसी प्लॉट क्र. 23, पाटो प्लाजा, पंचदीप भवन, पणजी गोंय - 403001**  
**Phone: 0832-2438853 ई-मेल: rd-go@esic.gov.in,**  
**वेबसाइट: www.esic.nic.in**



## ईएसआईसी - एक नज़र में



**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**  
**भारत सरकार**



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**

## ईएसआईसी एक नज़र में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सन्निहित सामाजिक बीमा का एक एकीकृत उपाय है और इसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति, विकलांगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु की आकस्मिकता के प्रभाव के खिलाफ और बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ईएसआई योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे कि सड़क परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकानों, और शैक्षिक / चिकित्सा संस्थानों आदि पर लागू होती है, जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में प्रतिष्ठानों के कवरेज की सीमा अभी भी 20 है। उक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो प्रति माह 21,000/- रुपये तक का वेतन प्राप्त करते हैं, वे ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवर के हकदार हैं।

ईएसआई योजना को नियोक्ताओं और कर्मचारियों के योगदान से वित्तपोषित किया जाता है। नियोक्ता द्वारा योगदान की दर कर्मचारियों को देय वेतन का 3.25 प्रतिशत होता है। कर्मचारियों का अंशदान उसे मिलने वाले वेतन के 0.75 प्रतिशत की दर से है। दैनिक वेतन के रूप में प्रति दिन 176/- रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों को उनके हिस्से के योगदान के भुगतान से छूट दी गई है।

ईएसआई योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुख्य लाभ बीमारी के लाभ, विकलांगता के लाभ, आश्रितों के लाभ, मातृत्व के लाभ और चिकित्सा लाभ हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे अन्य लाभ बेरोजगारी भत्ता (आरजीएसकेवाई), कारावास व्यय, अंतिम संस्कार व्यय, व्यावसायिक पुनर्वास और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हैं।

## कवरेज

शुरुआत में, ईएसआई योजना 1952 में देश के सिर्फ दो औद्योगिक केंद्रों, कानपुर और दिल्ली में लागू की गई थी। इसके बाद से इसने भौगोलिक पहुंच और जनसांख्यिकीय कवरेज के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ तालमेल रखते हुए, ईएसआई योजना देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 596 जिलों में लागू की गई है। यह अधिनियम देश भर में 14.82 लाख से अधिक कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है; जिससे 3.39 करोड़ से अधिक बीमित व्यक्तियों / पारिवारिक इकाइयों को लाभ मिल रहा है। कुल लाभार्थियों की संख्या 13.16 करोड़ से अधिक है।

## इन्फ्रास्ट्रक्चर

1952 में अपनी स्थापना के बाद से, इस योजना का इन्फ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क लगातार बढ़ती श्रमिक आबादी की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार करता रहा है। ईएसआई कॉर्पोरेशन ने अब तक इनपेमेंट सेवाओं के लिए 160 अस्पतालों की स्थापना की है। लगभग 1502/350 ईएसआई औषधालयों/आयुष इकाइयों और 1003 पैनल क्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक और बाह्य रोगी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और नकद लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, निगम डिस्पेंसरी-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) खोल रहा है। निगम ने मुंबई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), अलवर (राजस्थान), बिहता (पटना) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में सात व्यावसायिक रोग केंद्र भी स्थापित किए हैं जो जोखिम वाले उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में प्रचलित व्यावसायिक रोगों का शीघ्र पता लगाते और उनका उपचार करते हैं।

इनके अलावा, ईएसआईसी द्वारा 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 2 डेंटल कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज और एक पैरा-मेडिकल कॉलेज भी देश भर में चलाए जा रहे हैं।

नकद लाभों के भुगतान के लिए, निगम 607 से अधिक शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसके कामकाज की निगरानी 64 क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है।

## ईएसआईसी – भारत के कार्यबल के लिए एक पूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

आईएलओ सामाजिक सुरक्षा नित्य जोखिमों के विरुद्ध उस सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है जो समाज उपयुक्त संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराता है जो समाज कुछ जोखिमों के खिलाफ उपयुक्त संगठन के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसके लिए इसके सदस्य बारहमासी रूप से उजागर होते हैं। ये जोखिम अनिवार्य रूप से आकस्मिकताएं हैं जिनके खिलाफ छोटे साधनों का व्यक्ति अपनी क्षमता या दूरदर्शिता से अकेले या अपने साथियों के साथ निजी संयोजन में भी प्रभावी ढंग से नहीं निपटा सकता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रकृतिक और आर्थिक गतिविधियों के अन्याय का तर्कसंगत नियोजित न्याय तथा उदारता के स्पर्श द्वारा नियंत्रित करता है

ईएसआईसी देश का एकमात्र सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो आईएलओ की सूची में प्रदान किए गए अधिकांश आकस्मिकताओं जैसे कि बीमारी, कामगार के लिए चिकित्सा देखभाल, मातृत्व, बेरोजगारी, काम पर लगी चोट; कामगार की मृत्यु, अशक्तता और वैधव्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है।

ईएसआई योजना "उनकी क्षमता के अनुसार योगदान और आवश्यकता के अनुसार लाभ" के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत एक बीमित कर्मचारी, जो समाज के निचले वेतन वर्ग से है, को मजदूरी के अनुसार योगदान कर लाभों की एक बड़ी श्रृंखला के लिए हकदार बनाता है

ईएसआई योजना के तहत किया गया प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा भुगतान बीमित कर्मचारी को आपातकालीन चिकित्सा और अन्य आकस्मिकताओं के दौरान उसकी बचत या कमाई पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना मदद करता है। ईएसआई योजना द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभ इस प्रकार हैं:-

❖ **चिकित्सा हितलाभ:** ईएसआईसी बीमा योग्य रोजगार में शामिल होने के दिन से बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं की श्रेणी में निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। इसके लिए बीमाधारक को ईएसआई डिस्पेंसरी और अस्पतालों में अपनी पहचान दिखाकर इलाज कराना होता है।

❖ **बीमारी हितलाभ:** बीमारी हितलाभ का भुगतान बीमित व्यक्ति को 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से दो लगातार अवधियों में दिया जाता है। न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान भुगतान/देय होना चाहिए।

❖ **मातृत्व हितलाभ:** प्रसूति के मामले में 26 सप्ताह तक का भुगतान। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक। गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारी के मामले में चिकित्सा सलाह पर 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। दो पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिनों के अंशदान का भुगतान दिया/देय होना चाहिए।

❖ **अपंगता हितलाभ:** बीमित कर्मचारी को चोट लगने पर अपंगता लाभ दिया जाता है। अस्थायी अपंगता एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में औसत दैनिक वेतन 90 प्रतिशत की दर से तथा स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में लाभ अर्जित करने की क्षमता में हुई हानि के अनुपात में दिया जाता है।

❖ **आश्रित हितलाभ:** रोजगार की चोट के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर; औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से दिया जाने वाला भुगतान आश्रितों के बीच निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। यह लाभ बीमित व्यक्ति की विधवा को आजीवन या पुनर्विवाह तक, 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक बेटे के लिए तथा बेटी की शादी होने तक दिया जाता है।

❖ **व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता:** अक्षमता का मतलब कौशल का पूर्ण नुकसान नहीं है। या रोजगार में चोट के कारण विकलांगता के मामले में प्रतिदिन 123/- रुपये या वास्तविक शुल्क का भुगतान का भुगतान किया जाता है

❖ **पुनर्वास भत्ता:** रोजगार के दौरान चोट लगने का मतलब दैनिक आजीविका का नुकसान नहीं है। रोजगार की चोट के कारण शारीरिक अक्षमता के मामले में जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग के प्रत्यारोपण / मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती होता है, औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत की दर से देय होता है।

## अन्य लाभ

❖ **प्रसूति व्यय:** 7500/- रुपये प्रति प्रसूति जहां ईएसआई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

❖ **अंत्येष्टि व्यय:** मृतक बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए वास्तविक खर्च अधिकतम 15,000 रुपये नकद के अधीन है

## लाभों, अंशदायी शर्तें, लाभों की अवधि और लाभ दर का संक्षिप्त विवरण

| लाभ                            | अंशदान स्थिति                                                                                                                                  | अवधि                                                                                         | दर                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>बीमारी हितलाभ</b>           |                                                                                                                                                |                                                                                              |                              |
| <b>बीमारी हितलाभ</b>           | इसी अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान।                                                                                          | लगातार दो लाभ अवधि में 91 दिनों तक।                                                          | औसत दैनिक वेतन का 70 प्रतिशत |
| <b>वर्धित बीमारी हितलाभ</b>    | उपरोक्त की तरह                                                                                                                                 | ट्यूबेक्टोमी के लिए 14 दिन और पुरुष नसबंदी के लिए 7 दिन, चिकित्सकीय सलाह पर बढ़ाई जा सकती है | औसत वेतन का 100 प्रतिशत      |
| <b>विस्तारित बीमारी हितलाभ</b> | 34 निर्दिष्ट दीर्घकालिक रोगों के लिए, लगातार चार योगदान अवधियों में न्यूनतम 156 दिनों के योगदान के साथ दो साल के लिए निरंतर बीमा योग्य रोजगार। | दो वर्ष की अवधि के दौरान 124 दिन। चिकित्सकीय सलाह पर इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।        | औसत दैनिक वेतन का 80 प्रतिशत |